न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 136/2022 (2022/136)

1. मांगू पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर आयु लगभग 45 साल निवासी ग्राम खातोलाई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान —प्रार्थी

बनाम

1. हजारी पुत्र स्व० श्री कल्याण जाति गुर्जर आयु लगभग 67 वर्ष निवासी ग्राम खातोलाई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. देवकरण पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम खातोलाई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. मथरा पुत्री हजारी पत्नी श्री श्योराम जाति गुर्जर आयु लगभग 43 वर्ष निवासी ग्राम खातोलाई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम पेडीसाद तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री देवकरण गुर्जर जाति गुर्जर आयु लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम खातोलाई, बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
5. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

उपस्थित:— वकील प्रार्थी श्री देवकरण गुर्जर
वकील अप्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

दिनांक 24/2/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक होने के कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व 3, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान पुत्र, पुत्री है एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 व 3 आपस में सगे भाई बहिन है एवं अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रवधु एवं अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 2 की धर्मपत्नी होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के दादा कल्याण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम बान्दरसिन्दरी पटवार हल्का बान्दरसिन्दरी भूअभि. नि. क्षेत्र बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसका वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :— खाता संख्या 803 खसरा संख्या 2163, 0.0162 हैक्टेयर, व 2164 03.8589 हैक्टेयर कुल खसरे 2 का कुल रकबा 3.8751 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज थी एवं प्रार्थी के दादा कल्याण के फोत होने के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/10 इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थी के दादा से अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/10 विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रचलित प्रावधानो के अनुसार उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी का 1/40 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/40 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 1/40 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 का 1/40 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजी में अपना 1/40 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। खाता संख्या नया/पुराना 1253/1175 खसरा संख्या 2130 रकबा क्षेत्रफल हैक्टेयर में 0.8980 कुल खसरे 1 का कुल रकबा 0.8980 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज थी एवं प्रार्थी के दादा कल्याण के फोत होने के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/6 इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थी के दादा से अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/6 विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रचलित प्रावधानो के अनुसार उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा निहित है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

राजी में अपना 1/24 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। नया/पुराना 1254/1176 खसरा संख्या 2154 रकबा क्षेत्रफल हैक्टेयर में 0.1618 किस्म बंजर 1 कुल कुल रकबा 0.1618 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा कल्याण के नाम राजस्व र खातेदारी में दर्ज थी एवं प्रार्थी के दादा कल्याण के फोत होने के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण । 1 के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/5 इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो दा से अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/5 विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण से हिन्दू उत्तराधिकार के प्रचलित प्रावधानो के अनुसार उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा अधिकार दर्ज है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा निहित है। इस प्रकार आराजी मे अपना 1/20 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। ख्या 1 ने प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि भाग–अ, भाग–ब व भाग–स में अप्रार्थी संख्या सत की पुश्तैनी पैतृक सम्पूर्ण हिस्सा कृषि भूमि को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 4 कमलेश देवी पत्नी पुत्रवधु के नाम जरिये पंजीकृत उपहार प्रलेख के द्वारा उपहार में दे दिया जिसका अधिकार अभिलेख में रण संख्या 4852 दिनांक 20.6.2022 को खोला गया है। उक्त उपहार प्रलेख प्रार्थी के हक हिस्सा अधिकारों र है। प्रार्थी के दादा कल्याण पुत्र रामसूख के फोत होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त इसलिए उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का पैतृक अधिकारों के तहत हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजी में अपना हक हिस्सा अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के प्त करने का विधिक अधिकारी है। जब कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को उसकी पैतृक हक हिस्सा र की कृषि भूमि से महरूम करने की नियत से प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजी में से उसका दर्ज पुश्तैनी हिस्से का जरिये पंजीकृत उपहार प्रलेख के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को उपहार में दे दिया है जिसका र अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 4852 दिनांक 20.6.2022 अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज कर दिया गया है तीनो खातो के नामान्तकरण प्रार्थी के हक हिस्सा अधिकारो पर बेअसर होने से अवैध व शून्य है इस प्रकार का उक्त आराजी में हित, स्वत्व, निहित होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अलग से वाद श्रीमान् की में पेश किया गया है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी सन्तान ायित्वो से विमुक्त एवं अपने सन्तान के प्रति उदार आचरण न अपनाते हुए उपरोक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुश्तैनी पैतृक सम्पूर्ण हिस्से का उपहार किया गया है जो प्रार्थी के हक हिस्से अधिकार तक अवैध व है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त आराजी पैतृक होने से उसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा अधिकार निहित है प्रार्थी का विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 पिता होते हुए भी प्रार्थी के प्रति अनुचित, अवैधानिक कृत्य किया है। कारण से अपने खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए अलग से वाद पेश किया है। उपरोक्त आराजी पैतृक पत्ति होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त होने के कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी तैनी पैतृक होने से प्रार्थी का उक्त आराजी में हित अधिकार, स्वत्व निहित है। अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये स्थायी षेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त आराजी का रहन, बेचान, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं रें एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में कृषि कार्य करने में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 किसी प्रकार की बाधा, कावट, व्यवधान कारित नहीं करे इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे जिससे प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित रह सके एवं प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया खातेदारी अधिकारों की ोषणा का अलग से वाद श्रीमान् की सेवा में पेश किया गया है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी सन्तान के दायित्वो से विमुक्त एवं अपने सन्तान के प्रति उदार आचरण न अपनाते हुए उपरोक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पुश्तैनी पैतृक सम्पूर्ण हिस्से का उपहार किया गया है जो प्रार्थी के हक हिस्से अधिकार तक अवैध व शून्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजी पैतृक होने से उसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा अधिकार निहित है एवं प्रार्थी का विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 पिता होते हुए भी प्रार्थी के प्रति अनुचित, अवैधानिक कृत्य किया है। इस कारण से अपने खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए अलग से वाद पेश किया है। उपरोक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त होने के कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पुश्तैनी पैतृक होने से प्रार्थी का उक्त आराजी में हित अधिकार, स्वत्व निहित है। अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त आराजी का रहन, बेचान, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में कृषि कार्य करने में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, व्यवधान कारित नहीं करे इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे जिससे प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित रह सके एवं प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी एवं उसके परिवारजन का आजीविका का एक मात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही है जो खत्म हो जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को सम्पूर्ण वार्तालाप से प्रार्थी द्वारा अवगत करवाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 व 4 अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की आराजी को नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जरिये उपहार प्रलेख से हस्तान्तरण करवा कर खुर्द बुर्द करने, रहन, बैचान आदि करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध अनुतोष चाहने बाबत् सदभाविक रूप से प्रार्थना पत्र पैश किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पैतृक विरासत से प्राप्त होने से प्रार्थी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस है। इस कारण से प्रार्थी उपरोक्त पैतृक कृषि आराजी में स्वत्व, हित अधिकार प्राप्त करने एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अन्य सहखातेदार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है इस कारण से प्रार्थना पत्र में सहखातेदारो को पक्षकार संयोजित नही किया गया है एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

आराजी में प्रार्थी अपने हक हिस्से अधिकार की कृषि भूमि में कृषि कार्य करता चला आ रहा है प्रार्थी अपने की कृषि भूमि पर फसल बो रखी है एवं कब्जा काश्त भी प्रार्थी का है। प्रार्थी का आय का मुख्य स्त्रोत प्रार्थना में वर्णित आराजी ही है इनके अलावा कोई आजीविका का साधन नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण तक 19.07.2022 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी अपने हक हिस्से अधिकार की कृषि भूमि पर बो रखी फसल की निराई, गुड़ाई, देखभाल, सार संभाल कर रहा था तब अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर आये तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य निराई गुड़ाई करने से मना किया तथा प्रार्थी को उसके हिस्से कृषि भूमि से कब्जा छोड़ने की बात कही तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को कहा कि मैंने मेरे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का जरिये उपहार प्रलेख द्वारा देवकरण की पत्नी कमलेश के नाम हस्तान्तरण करवा दी है तथा नामान्तरकण खुलवा दिया है अब तेरा इस जमीन में कोई हक हिस्सा नहीं है इसलिए तु इस जमीन पर बो रखी फसल में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं मांगता है एवं प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 ने जबरन बेदखल करने की धमकी दी उसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल ऑन लाईन कम्प्यूटर से ई–हस्ताक्षर वाली प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उसकी पुश्तैनी पैतृक हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये उपहार प्रलेख के उसकी पुत्रवधु अप्रार्थी संख्या 4 के नाम होने की जानकारी हुई उसके बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में करवाये गये उपहार प्रलेख की नकल प्राप्त करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय, किशनगढ़ के यहां दिनांक 27.07.2022 को आवेदन किया गया तथा उपहार प्रलेख की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.07.2022 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 4 भी अब सम्पूर्ण आराजी को रहन, बेचान, बख्शीश, वसीयत, दान आदि के द्वारा हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रही है अप्रार्थीगण स 3 रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जावे एवं मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इसलिए पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पूर्वज दादा के हक हिस्सा अधिकार एवं कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रार्थी अपने दादा का जायन्दा पौत्र है जिसका अपने दादा की विरासत से प्राप्त सम्पत्ति में विधिक रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही प्रार्थी का हक हिस्सा अधिकार निहित होने से हक हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा प्रार्थी के हक हिस्सा अधिकार की विरासत से प्राप्त पुश्तैनी कृषि भूमि का रहन, बैचान, बख्शीश, वसीयत, दान के द्वारा अन्तरण, हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को उसके हक हिस्से अधिकार की कृषि भूमि से महरूम होना पड़ेगा एवं ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से करना संभव नहीं है। प्रार्थी की अधिकार निहित एवं प्रार्थी के दादा कल्याण से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 3 में स्थित ग्राम बान्दरसिन्दरी पटवार हल्का बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ के वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता संख्या नया 866 के खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2164 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल खसरा 2 का कुल रकबा 3.8751 हेक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/10 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जरिये उपहार प्रलेख से अवैधानिक रूप से हस्तान्तरण की गयी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/10 में से प्रार्थी हिस्सा 1/40 एवं खाता संख्या 1253 के खसरा संख्या 2130 रकबा 0.8980 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जरिये उपहार प्रलेख से अवैधानिक रूप से हस्तान्तरण की गयी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 में प्रार्थी का हिस्सा 1/24 एवं खाता संख्या नया 1254 के खसरा संख्या 2154 रकबा 0.1618 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 सम्पूर्ण को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जरिये उपहार प्रलेख से अवैधानिक रूप से हस्तान्तरण की गयी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 निहित है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजी का अप्रार्थी संख्या 4 रहन, बेचान, बख्शीश, वसीयत, दान आदि नहीं करे एवं प्रार्थी के प्राप्त हिस्से में कृषकिय कार्य व उपयोग उपभोग करने में, बो रखी फसल की निराई, गुड़ाई, काटने में, फसल बोने में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व उसके परिवार के सदस्य, एजेन्ट, नौकर, चाकर, प्रतिनिधि, द्वारा व्यवधान, बाधा कारित नहीं करे व न ही करवावे, प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे, नामान्तकरण दर्ज नहीं करे एवं अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष उक्त वर्णित आराजी के रहन, बैचान, बख्शीश, वसीयत, दान आदि से संबंधित अन्तरण का किसी भी तरह के दस्तावेज पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 4 व अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.08.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 136/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 21.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 28.05.2024 को जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। पेरा के शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को उक्त वाद में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती है। प्रार्थी ने गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2, 3 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र पुत्री है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आपस में भाई–बहिन है, अप्रार्थी संख्या 4, अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रवधु है। शेष कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य हो। प्रार्थी मांगू अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के साथ निवास नहीं करता है बल्कि वर्षो पहले अलग होकर अपना अलग ही खानपान आवास कर रहा है तथा उसका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

परिवार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 (अ) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (अ) में वर्णित भूमि खसरा 2163, 2164 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि की 1/10 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। पेरा संख्या 3 (ब) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (ब) में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2130 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। पेरा संख्या 3 (स) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (अ) में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2154 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि की 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। उक्त पेरा संख्या 3 (अ) (ब) (स) में वर्णित भूमि में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 3 का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नही है ना ही वे कोई हक हिस्सा अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी अर्से दराज से अलग रह रहा है तथा अपने पुत्र होने के दायित्व नही निभा रहा है ना अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 का भरण पोषण कर रहा है ना खयाल रख रहा है ना उनके खर्चे उठा रहा है ना ही किसी प्रकार के सामाजिक दायित्वो को निभा रहा है। प्रार्थी ने कभी भी किसी भी पारिवारिक व सामाजिक खर्च में कोई योगदान अप्रार्थी संख्या 1 को नही दिया है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 (अ) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (अ) में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2163, 2164 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि की 1/10 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। पेरा संख्या 3 (ब) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (ब) में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2130 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। पेरा संख्या 3 (स) के कथन में जवाब है कि पेरा संख्या 3 (अ) में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2154 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा था जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 11.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के अन्तरित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि की 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। उक्त पेरा संख्या 3 (अ) (ब) (स) में वर्णित भूमि में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 3 का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नहीं है ना ही वे कोई हक हिस्सा अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी असें दराज से अलग रह रहा है तथा अपने पुत्र होने के दायित्व नहीं निभा रहा है ना अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 का भरण पोषण कर रहा है ना खयाल रख रहा है ना उनके खर्चे उठा रहा है ना ही किसी प्रकार के सामाजिक दायित्वों को निभा रहा है। प्रार्थी ने कभी भी किसी भी पारिवारिक व सामाजिक खर्च में कोई योगदान अप्रार्थी संख्या 1 को नही दिया है। प्रार्थी की माता तथा अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के देहान्त होने पर जो भी सामाजिक, शास्त्रिक रीति रिवाज में खर्च लगे है उनमें भी प्रार्थी ने कभी कोई हिस्सा नहीं दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 4 के साथ रह रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ही उसकी सेवा सुश्रुषा, भरण पोषण, समस्त पारिवारिक, सामाजिक खर्च उठाते है एवं इन्होने ही अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के समस्त अन्तिम किया कलापो में खर्च किया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के सभी प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों में होने वालें खर्चों को भी अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ही वहन कर रहे है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रेम, स्नेहवश व अप्रार्थी संख्या 1 की सार संभाल, सेवा सुश्रुषा करने, तिमारदारी करने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 1 पर पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन में कर्जा हो जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 4 द्वारा उस कर्जे को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 से लेकर चुकाने के कारण तथा प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उक्त हिस्सा भूमि का जरिये उपहार प्रलेख के अन्तरण कर दिया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 4 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुका है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के कथन वर्णितानुसार गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 (अ) (ब) (स) में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी की भूमि को अन्तरण करने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 की विधिक आवश्यकताओं, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों में होने वाले खर्चा के कारण अप्रार्थी संख्या 1 पर कर्जा हो गया था जिसे अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने चुकाया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ही अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण ख्याल रखते है, खर्चा उठाते है। प्रार्थी ना तो पुत्र का दायित्व पूर्ण कर रहा है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक कर्जे चुकाने में सहयोग किया है ना ही सामाजिक, पारिवारिक दायित्व निभा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के सभी दायित्व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 निभा रहे है वे ही उसका खयाल रख रहे है भरण पोषण कर रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक कर्ज़ा को चुकाया है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 4852 दिनांक 20.06.2022 को खोला गया है। उपहार प्रलेख एवं नामान्तकरण संख्या 4852 दिनांक 20.06.2022 पूर्णतः विधिक है। प्रार्थी का वादअधीन भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है ना ही प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अविधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो। पुत्र के द्वारा अपने दायित्वों की पालना नहीं करके केवल अधिकार की मांग करना विधिक रूप से सही नहीं है तथा पिता के जीवनकाल में विधिक रूप से पुत्र अपने हिस्से की मांग करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के कथन गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के प्रति अपने दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है ना ही उसने कभी अपने पिता अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के प्रति दायित्वों की पालना की है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से अलग रह रहा है तथा किसी प्रकार का संख्या 1 का भरण पोषण, खाने पीने, दवा दारू का कोई खर्च नहीं उठा रहा है ना ही, पारिवारिक व लिक दायित्वो के निर्वहन में होने वाले खर्चो में कोई योगदान करता है। अप्रार्थी संख्या 1 पर अपने सामाजिक, वारिक दायित्वों के निर्वहन में होने वाले खर्चो के कारण कर्ज हो गया था उसे भी अदा करने में प्रार्थी ने कोई हयोग नही किया है बल्कि हर वक्त प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहता है। यह कथन अस्वीकार है कि वादअधीन भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि उपहार प्रलेख अवैध व शून्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पुत्र होने के दायित्वों से विमुख होकर अपने अधिकारों की मांग नही कर सकता है प्रार्थी का प्रार्थना अधीन भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 7 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 8 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने का स्वतन्त्र अधिकार रखती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पुत्र होने के दायित्वों से विमुख होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है प्रार्थी का वाद अधीन भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने का स्वतन्त्र अधिकार रखती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पुत्र होने के दायित्वों से विमुख होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है प्रार्थी का वाद अधीन भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने का स्वतन्त्र अधिकार रखती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पुत्र होने के दायित्वों से विमुख होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है प्रार्थी का वाद अधीन भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के

ण्ड अधिकार, (अजमेर

में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन गलत है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका एक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने का स्वतन्त्र अधिकार रखती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी अपने पुत्र होने के दायित्वों से विमुख होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है प्रार्थी का वाद अधीन भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है प्रार्थी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के कथन गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को अन्तरण की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 वादअधीन भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादअधीन भूमि का प्रार्थी ना तो खातेदार है ना ही उसका कोई हक हिस्सा अधिकार है। यह कथन अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित किया हो, यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी वादअधीन भूमि पर काबिज हो। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करने प्रार्थी द्वारा अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में मयाद के सम्बन्ध में कोई अभिवचन नहीं किया है इस कारण प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 11.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में पंजिकृत उपहार प्रलेख निष्पादित कर भूमि को अन्तरण कर दिया गया है। उपहार प्रलेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 के नाम नामान्तकरण संख्या 4852 दिनांक 20.06.2022 को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में कराये गये उपहार प्रलेख दिनांक 11.05.2022 के अस्तित्व में रहते हुए माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उपहार प्रलेख को रद्द या निरस्त नहीं किया जाता है। इस प्रकार उक्त वाद व प्रार्थना को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 :– अतः श्रीमान् न्यायालय की सेवा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने की कृपा करे।

दिनांक 03.02.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने निहित हिस्से से अधिक भूमि का अन्तरण जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के 04 को कर दिया गया है। उक्तानुसार हमारे द्वारा धारा 212 के तीन बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थना पत्र का विवेचन किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– राजस्व रिकार्ड एवं जमाबन्दी के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि पैतृक भूमि है तथा विरासत के अनुसार प्रार्थी का वादअधीन भूमि में प्रार्थी का हक निहित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जो कि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पैतृक भूमि में अपने हिस्से से अधिक का अन्तरण कर दिया गया, जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को और भी खुर्द बुर्द कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 04, 05, 06 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम बान्दरसिंदरी पटवार हल्का बान्दरसिंदरी तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2130, 2154, 2163, 2164 में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम बान्दरसिंदरी पटवार हल्का बान्दरसिंदरी तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा संख्या 2130, 2154, 2163, 2164 में प्रार्थी को उनके हिस्से तक की भूमि से बेदखल नहीं करें एवं प्रार्थी के कृषि कार्य में मदाखलत नहीं करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)